भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
*****

सं.2010/टीजी-I/14/पी

नई दिल्ली, दिनांक 07.10.2016

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
बेलापुर भवन, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर,
नवी मुम्बई-400614

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 53)

विषयः माननीय संसद सदस्यों को उनकी रेलवे यात्रा से संबंधित मामलों में समन्वय करने के लिए प्रत्येक मंडल में एक नोडल अधिकारी नामित करना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 27.04.2010 के समसंख्यक पत्र (2010 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 23) का अवलोकन करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार सूचित किया गया थाः-

i. प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे अपनी रेलवे में उन महत्वपूर्ण स्टेशनों की पहचान करें जहां संसद सदस्यों की आवाजाही होती है तथा संसद सदस्यों (पति/पत्नी अथवा सहयोगी के साथ अथवा अकेले) की स्वयं की यात्रा से संबंधित सभी मामलों में समन्वय के लिए नोडल अधिकारी के रूप में उस स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन अधीक्षक को नामित करें। ऐसे अधिकारी के न होने पर, मंडल के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक समन्वय करेंगे।

ii. नामित अधिकारी उस स्थान से बुक किए गए संसद सदस्यों की सूची अपने पास रखेगा जिन्हें स्वतः ही पुष्टिशुदा स्थान प्राप्त हो गया हो अथवा आपातकालीन कोटे से अथवा उस दिन किसी अन्य कोटे से उसी अथवा वैकल्पिक श्रेणी में विभिन्न गाड़ियों में स्थान मुहैया किया गया है।

iii. ऐसे नामित अधिकारी उन सभी संसद सदस्यों के फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर आदि सहित ब्यौरे अपने पास रखेंगे जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस स्थान पर है अथवा जिनकी उस स्थान से निरंतर आवाजाही होती है। वह माननीय संसद सदस्यों को अपना संपर्क नम्बर भी देंगे।

iv. जब कभी कोई संसद सदस्य अथवा उनका कर्मचारी अपनी यात्रा के लिए (पति/पत्नी अथवा सहयोगी के साथ अथवा अकेले) ऐसे नामित अधिकारी से संपर्क करता है, तो माननीय संसद सदस्यों अथवा उनके कर्मचारियों को दिए गए आरक्षण से अवगत कराया जाए तथा जिन मामलों में बुक की गई श्रेणी में स्थान उपलब्ध न हो, दिए गए वैकल्पिक स्थान के ब्यौरे भी दिए जाएं।

v. क्षेत्रीय रेलें, संसद सदस्यों अथवा उनके कर्मचारियों को बुक की गई श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में स्थान मुहैया करने की सूचना देने के लिए एक प्रक्रिया भी बनाएंगी। यदि माननीय संसद सदस्यों अथवा उनके कर्मचारियों से संपर्क करना व्यावहारिक नहीं हो तो इस तथ्य को रिकॉर्ड में भी रखा जाए।

SUBODH

2. इस मामले की पुनः समीक्षा की गई है और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:-

i. संसद सदस्यों की उनकी रेलवे यात्रा से संबंधित मामलों में समन्वय हेतु संपर्क के लिए प्रत्येक मंडल में सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक (प्राथमिकतः जो पीआरएस/आरक्षण का प्रभारी हो आदि पदेन नोडल अधिकारी होगा।

ii. क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर उप महाप्रबंधक (जी) अथवा महाप्रबंधक द्वारा नामित कोई अन्य कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अथवा वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी, उस विशिष्ट क्षेत्रीय रेलवे के लिए समग्रतः नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

iii. इन अधिकारियों के दूरभाष नम्बर (रेलवे नम्बर, पीएंडटी नम्बर तथा मोबाइल नम्बर) इस कार्यालय को सात दिनों के भीतर भेजे जाएं ताकि उनका संकलन किया जा सके और माननीय संसद सदस्यों की सूचना हेतु लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय को अग्रेषित किया जा सके।

iv. ये नोडल अधिकारी, 2010 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 23 के अनुसार माननीय संसद सदस्यों के साथ समन्वय करने के लिए उनके मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नामित किए गए अधिकारियों की सूची भी अपने पास रखेंगे।

3. तदनुसार आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

बी. प्रशांत कुमार

(बी.प्रशांत कुमार)
कार्यपालक निदोशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1) सीसीएम$_{एस}$, सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का. नि. सतर्कता (टी), विकाधि/टी सी और सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
4) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
5) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226001।.
6) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
7) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
8) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
9) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
10) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

SUBODH

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2010/TG-I/14/P New Delhi, dated 07.10.2016

General Managers,
All Zonal Railways.

Chairman & Managing Director,
Konkan Railway Corporation Limited,
Belapur Bhawan, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai-400614

(Commercial Circular No.53 of 2016)

Sub: Nominating Nodal Officer on each division to co-ordinate with Hon'ble Members of Parliament for their railway journey related issues.

Please refer to this office letter of even number dated 27.04.2010 (CC No. 23 of 2010) wherein it was inter-alia advised as under:-

(i) Each Zonal Railway shall identify important stations on their Railway involving movement of MPs and nominate Station Manager/State Superintendent of that station as nodal officer to co-ordinate with all matters relating to self travel of Members of Parliament (with or without spouse or companion). In the absence of such officer, Assistant Commercial Manager (ACM) of the Division will co-ordinate.

(ii) Nominated officer will keep with him/her the list of MPs booked from that location, who have got confirmed accommodation automatically or provided accommodation in different trains in same or alternative class out of Emergency or any other quota on that particular day.

(iii) Such nominated officer shall keep with him the details including phone number, mobile number, etc. of all Members of Parliament whose constituency is served by that location or whose movement is frequent from that location. He/she will also provide his contact number to the Hon'ble MPs.

(iv) Whenever any Member of Parliament or his staff contacts such nominated officer for his/her self travel (with or without spouse/companion), the Hon'ble MP or his staff shall be apprised of the reservation provided including details of alternate accommodation provided in cases where accommodation in the booked class is not available.

(v) Zonal Railways shall also put in place a mechanism for informing the Member of Parliament or his staff of the position, whenever accommodation is provided to him/her in lower than booked class. In case it is not feasible to contact Hon'ble MP or his/her staff, this fact shall be kept on records.

Dell/B/my documents/LNT/TR/letter_2016

2. The matter has been further reviewed and it has been decided as under:-

(i) On each division, ACM (preferably who is incharge of PRS/Reservation etc.) will be the ex-officio Nodal Officer to interact with Members of Parliament to attend to their railway journey related issues.

(ii) At zonal Railway level, DGM(G) or any other Junior Administrative grade or Senior Scale officer nominated by GM will act as overall nodal officer for that specific Zonal Railway.

(iii) The phone numbers (Railway no., P&T and mobile no.) of these officers will be sent to this office within seven days to enable its compilation and forwarding it to Lok Sabha & Rajya Sabha Secretariats for information of Hon'ble MPs.

(iv) These nodal officers will also keep a list of the officers at important stations of their division nominated to co-ordinate with Hon'ble MPs as per Commercial Circular no. 23 of 2010.

3. Necessary instructions may be issued accordingly.

(B. Prashanth Kumar)
Executive Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCMs, CCMs/PM and CCMs/PS, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), OSD/TC, & V(SS) branches of Railway Board.
3. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
4. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
5. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
6. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
7. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
8. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
9. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
10. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.

*****